

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट,
(पीठासनी अधिकारी-अमनदीपसिंह छाबड़ा)

आप.प्रक.क्रमांक-177 / 2009

संस्थित दिनांक-02.04.2009

फाई. क्र.234503000502009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-गढ़ी,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

बबलूदास उर्फ हीरादास पिता जागेश्वर, उम्र-20 वर्ष,

निवासी ग्राम परसामउ थाना गढ़ी जिला बालाघाट

— — — — आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक-31/10/2017 को घोषित)

01— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337(चार बार) का आरोप है कि उसने घटना दिनांक-03.03.2009 को समय 10 बजे ग्राम गढ़ी अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन बुलेरो क्रमांक एम.पी.50-जी.0608 को तेजी एवं लापरवाही व उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत मनोज, लीमाबाई, गीताबाई, तिलक को स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया।

02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी तिलकदास ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 03.03.09 को करीब 10:00 बजे गढ़ी से समरिया की ओर जा रहे थे, गाड़ी को बबलूदास चला रहा था। बबलूदास ने वाहन को तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाकर बिलाईखार के पास पोल को ठोस मारकर पुलिया पर टकरा दिया, जिससे वाहन में सवार लीमाबाई, गीताबाई एवं दो बच्चों को चोटें आईं। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान एम.एल.सी. रिपोर्ट, निरीक्षण घटनास्थल, प्रार्थी एवं गवाहों के कथन की कार्यवाही गई। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके जमानत मुचलके

पर रिहा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध चालान क्र. 06/09 तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।

03- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 (चार बार) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्त ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक-03.03.2009 को समय 10 बजे ग्राम गढ़ी अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन बुलेरो क्रमांक एम.पी.50-जी.0608 को तेजी एवं लापरवाही व उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को तेजी एवं लापरवाही व उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत मनोज, लीमाबाई, गीताबाई, तिलक को स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?

-:विवेचना एवं निष्कर्ष :-

05- विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 एवं 02

सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

06- साक्षी तिलकदास मागरे अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना दिनांक 2009 की है। घटना दिनांक को वह जैतपुरी गल्ला लोड करने के लिये पीकप वाहन में बैठकर जा रहे थे, जिसे आरोपी बबलू चला रहे थे। चालक ने अपने पीकप वाहन में दो महिलाओं तथा दो बच्चों को यात्री के रूप में बैठा लिया था और वह पीछे डाले में बैठा था। घटना बिलाईखार में हुई थी। कैसे हुई नहीं बता सकता, क्योंकि

वह बेहोश हो गया था। घटना के समय वाहन को आरोपी बहुत तेज गति से चला रहा था। उक्त दुर्घटना में बेहोशी के कारण उसे बैहर अस्पताल लाया गया था, जहां उसे होश आया था। उक्त घटना में उसे कमर तथा छाती में चोटें आई थी, जिससे वह वर्तमान में वजन उठाने में असमर्थ है तथा मेहनत का काम भी नहीं कर सकता। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान बैहर अस्पताल में लिये थे तथा उसने कोई रिपोर्ट नहीं किया था। वह अंगूठा लगाता है। पुलिसवालों ने पूछताछ कर उसके अंगूठा लगवाये थे। उक्त दुर्घटना आरोपी ड्रायवर की लापरवाही से हुई थी।

07— साक्षी तिलकदास मागरे अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह उक्त वाहन में गद्दी बाजार चौक से बैठा था और वह पीछे डाले में बैठा था, सामने ड्रायवर और दो, चार एवं पांच लोग बैठे थे, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि रास्ते में गाड़ी दो-तीन बार रुकी थी, वह यकीन से नहीं कह सकता कि गाड़ी रफ्तार से थी या नहीं, दूसरे के कहने पर बता रहा है कि गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से थी, वह यह नहीं बता सकता कि जिस रोड में घटना हुई थी, उस रोड में तेज रफ्तार से वाहन नहीं चला सकते, वह घटना के पहले ड्रायवर का नाम नहीं जानता था, वह पीछे बैठा था, इसलिए नहीं बता सकता कि गाड़ी कौन चला रहा था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल के पास पुलिया थी। यह अस्वीकार किया है कि घटनास्थल के पास गड्ढे थे, किन्तु यह स्वीकार किया है कि उक्त पुलिया से एक समय में एक ही गाड़ी निकल सकती थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि पुलिया के पास गाड़ी धीमी हो गई थी। वह पीछे बैठा था, इसलिए उसे जानकारी नहीं है कि सामने से मेटाडोर आ रही थी या नहीं। साक्षी ने कथन किया है कि उसे याद नहीं है कि उनके सामने से आने वाली मेटाडोर ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसे होश में आने के बाद यह पता चला था कि उनकी पीकप को सामने आने वाले अन्य वाहन ने टक्कर मार दिया था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि वह पीछे बैठा था, गाड़ी कैसे

टकराई उसे नहीं मालूम, उसने पुलिस वालों को गाड़ी का नंबर नहीं बताया था, उसके बयान में कैसे लिख दिये वह कारण नहीं बता सकता, उसे उसके बयान पुलिस वालो ने पढ़कर नहीं सुनाये थे, पुलिस वालों ने उसका अंगूठा का निशान कोरे कागज पर लिये थे।

08— साक्षी लीमाबाई अ.सा.02 ने कथन किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से एक-दो साल पहले की है। वह उस दिन कसेर की गाड़ी में बैठकर परसामहु से टोपरा जा रही थी। उसके साथ में 03 लोग और थे। गाड़ी को परसामहु का रहने वाला लड़का चला रहा था, जो भक्कू का लड़का है। समरिया के पास गाड़ी पलट गई, जो बिजली के खंभे से टकराने से पलट गई थी, जिसके कारण उसे सिर में एवं आंख के पास चोट आई थी, आंख के पास उसे टांके लगे थे और पूरे शरीर में चोटें आई थी। आरोपी गाड़ी बहुत जोर से चला रहा था। पुलिस ने उसका मुलाहिजा करवाया था। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय दुर्घटनाग्रस्त वाहन कौन चला रहा था, उसका नाम उसे नहीं मालूम। वह गाड़ी में अंदर बैठी थी, साथ वालो के कहने पर वह गाड़ी में बैठ गई थी, गाड़ी कैसे पलटी उसे नहीं मालूम, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उस दिन रोड में भीड़ थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि जिस समय दुर्घटना हुई, उसी समय वहां से गाड़ी तेज रफ्तार से गुजरी, दुर्घटनाग्रस्त वाहन को आरोपी सामान्य गति से चला रहा था, किन्तु यह अस्वीकार किया कि घटना में ड्राइवर की गलती नहीं है। साक्षी के कथन अनुसार आरोपी बहुत जोर से गाड़ी चला रहा था, वह नहीं बता सकती कि आरोपी ने जानबूझकर पलटाया या नहीं। साक्षी ने स्वीकार किया कि उक्त एक्सीडेंट एक गाड़ी तेज रफ्तार से भागी, उस कारण हुई थी।

09— साक्षी गीताबाई अ.सा.05 ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानती। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 06 वर्ष पूर्व की

है। घटना दिनांक को वह गढ़ी बाजार से चार पहिया वाहन में बैठकर अपने घर जैतपुरी जा रही थी। उसके अलावा भी उक्त गाड़ी में अन्य लोग बैठे हुए थे। जैसे ही उनका वाहन बिलाईखार के पास पहुंचा और पलट गया था। घटना के समय वाहन कौन चला रहा था, उसे जानकारी नहीं है। उक्त घटना में उसे आंख के पास और शरीर के अन्य भागों में चोटें आई थी। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके कोई बयान नहीं लिये थे।

10— साक्षी गीताबाई अ.सा.05 ने अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर यह अस्वीकार किया है कि आरोपी बबलूदास गाड़ी को अत्यधिक तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाकर बिजली के खंभे से टकराकर गाड़ी को पलटा दिया था। साक्षी के कथन अनुसार उसने वाहन चालक को नहीं देखी एवं दुर्घटना कैसे हुई थी वह नहीं बता सकती, क्योंकि वह पीछे बैठी थी। उसने पुलिस को प्रपी-8 का कथन नहीं दी थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना पुरानी होने के कारण वह आरोपी का नाम और उसकी गलती से घटना होने वाली बात प्रपी-8 के बयान में पुलिस को बताने के बाद भी नहीं बता पा रही है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसे घटना की दिनांक व दिन याद नहीं है, घटना के समय वाहन कौन चला रहा था और उक्त गाड़ी का क्या नंबर था, वह नहीं बता सकती, उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था, दुर्घटना कैसे घटित हुई वह नहीं बता सकती, क्योंकि वह पीछे बैठी थी।

11— साक्षी गंगासिंह ठाकुर अ.सा.07 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना काफी पुरानी सुबह करीब नौ-दस बजे बिलाईखार के पास की है। घटना के समय वह अपना वाहन लेकर सिमरिया सवारी भरने जा रहा था। आरोपी भी अपना पिकअप कमाण्डर वाहन लेकर उसी तरफ जा रहा था, जिसका एक्सीडेंट बिलाईखार के पास हो गया था। घटना किसकी गलती से हुई वह नहीं बता सकता। घटना में किसे चोट

आयी थी, उसे नहीं मालूम। पुलिस ने उसके समक्ष उक्त पिकअप वाहन को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.01 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपी ने अपने बुलेरो पिकअप वाहन को तेज गति और लापरवाहीपूर्वक चलाकर बिजली खम्बे से टकरा दिया था, जिससे वाहन पलटने से उसमें सवार महिला, बच्चों तथा तिलकदास को चोटें आयीं थी और बिजली खम्बा का तार भी टूट गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखा था, वह घटना के बाद पहुंचा था, उसने प्र.पी.01 में पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

12— साक्षी संतोष अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह आरोपी बबलू उर्फ हीरादास को नहीं पहचानता। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी। जप्ती पत्रक प्र.पी-01 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसके समक्ष आरोपी से एक सफेद रंग की गाड़ी मय दस्तावेज के जप्त की गई थी।

13— साक्षी डॉ० एन.एस. कुमारे अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह दिनांक 03.03.09 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैहर में पदस्थ था। उस दिन थाना गढ़ी से आरक्षक लोटन क्रमांक-446 द्वारा आहत मनोज को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया, आहत के शरीर पर एक चोट जो कि कंट्यूजन था, अनियमित किनारे, लालिमा लिये हुए था, उक्त चोट एलबो ज्वाँईट पर दाहिने जोड़ पर पीछे की तरफ था। उसके मतानुसार उक्त चोट साधारण प्रकृति की थी, जो कि कड़ी और बोथरी वस्तु से आ सकती थी तथा उसके जांच के 06 घंटे के अंदर की थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रपी-2 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

उक्त दिनांक को उसी आरक्षक द्वारा श्रीमती लीमाबाई को लाने पर चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें निम्न चोट पाया था। चोट क्रमांक एक लेसरेटेड टोड (कटी-फटी चोट) जो कि एक-ढेड़ गुणा आधा इंच लिये लंबवत सूखा हुआ रक्त अनियमित किनारे, लालिमा लिये (बोनी डिप) उक्त चोट चेहरे पर बांयी ओर होना पाया था। चोट क्रमांक दो कंट्यूजन जो कि ढेड़ गुणा आधा इंच लिये, तिरछापन लिये, अनियमित किनारे जो कि बांये चेहरे पर आंख के निचे होना पाया था। सामान्य अवस्था-आहत होश में थी, नब्ज 88 पर मिनट, रक्तचाप 140/86 मि.मि., हृदयतंत्र नियमित चल रहे थे। उसके मतानुसार उसने आहत को एक्स-रे की सलाह दी थी। चोट कड़ी व बोथरी वस्तु से आ सकती थी। उक्त चोट उसके जांच के 06 घंटे अंदर की है। उसके द्वारा टांके लगाये गये। आहत को निगरानी हेतु भर्ती कर आगे ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय रिफर किया गया। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रपी-3 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

14— साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.04 के अनुसार उक्त दिनांक को उक्त आरक्षक द्वारा श्रीमती गीताबाई को लाने पर चिकित्सीय परीक्षण किया गया। आहत श्रीमती गीताबाई को आई चोट क्रमांक एक कटी-फटी चोट जो कि ढेड़ गुणा आधा इंच लिये लंबवत हड्डी तक गहराई लिये, सूखा हुआ रक्त लालिमा लिये होना पाया था, उक्त चोट चेहरे के बांयी तरफ कान के सामने होना पाया था। चोट क्रमांक दो कंट्यूजन एक गुणा आधा इंच लिये, लालिमा लिये, उक्त चोट निचले ओंठ पर मध्य भाग पर होना पाया था। सामान्य अवस्था-आहत होश में थी। नब्ज 82 पर मिनट, रक्तचाप 130/80 पर मिनट, हृदय तंत्र, स्वसन तंत्र सामान्य चल रहे थे। उसके मतानुसार चोट क्रमरंक 01 के लिये एक्स-रे की सलाह दी गई थी तथा चोट क्रमांक दो साधारण प्रकृति की थी। उक्त चोट कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती थी, जो उसके जांच के 06 घंटे अंदर की थी। चोट क्रमांक 01 पर टांके लगाये गये और निगरानी हेतु भर्ती किया गया। उसकी

परीक्षण रिपोर्ट प्रपी-4 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

15- साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.04 के अनुसार उक्त दिनांक को उक्त आरक्षक द्वारा आहत तिलक को लाने पर चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें निम्नलिखित चोटें पायीं— चोट क्रमांक एक कंट्यूजन डेढ़ गुणा आधा इंच लिये, तिरछापन लिये, जिसे श्वास लेने में तकलीफ हो रही थी। अनियमित किनारे उक्त चोट पीठ पर बांयी ओर होना पाया था। चोट क्रमांक दो—कंट्यूजन एक गुणा आधा इंच लिये लंबवत लालिमा लिये, उक्त चोट सिर के ऑक्सिपिटल के मध्य भाग पर होना पाया था। सामान्य अवस्था आहत होश पर था, नब्ज 88 पर मिनट, रक्त चाप 130/78 पर मिनट, हृदय तंत्र, स्वसन तंत्र पर किसी प्रकार की विकृति नहीं होना पाया था। उसके मतानुसार चोट क्रमांक 01 के लिये एक्स-रे की सलाह दी गई थी। चोट क्रमांक 02 साधारण प्रकृति की थी। उक्त चोट कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती थी तथा उसके जांच 06 घंटे के अंदर की थी। ऑब्जरवेशन हेतु भर्ती किया गया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रपी-5 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

16- साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.04 के अनुसार उसके द्वारा आहत श्रीमती गीताबाई का एक्स-रे किया गया था, जिसका एक्सरे प्लेट नं. 139 है, एक्स-रे के आधार पर उसने किसी प्रकार का अस्थि भंग नहीं पाया था। उक्त एक्स-रे प्लेट आर्टिकल ए-1 है तथा उसके एक्स-रे रिपोर्ट प्रपी-6 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार आहत लीमाबाई का एक्स-रे कराया गया था, जिसका प्लेट नं. 128 है। एक्स-रे प्लेट के आधार पर किसी प्रकार का अस्थिभंग होना नहीं पाया था। उक्त एक्स-रे प्लेट आर्टिकल ए-2 है तथा एक्स-रे रिपोर्ट प्रपी-7 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार आहत तिलक का एक्स-रे कराया गया था, जिसका एक्स-रे प्लेट नं. 127 है। एक्स-रे के आधार पर कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया था। उक्त एक्स-रे प्लेट

आर्टिकल ए-3 है। उक्त एक्स-रे रिपोर्ट प्रपी-8 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उक्त सभी आहतगण को आई चोटें कड़ी एवं बोथरी वस्तु पर गिरने से या टकराने से आ सकती हैं।

17- साक्षी अशोक अग्निहोत्री अ.सा.06 ने कथन किया है कि उसने थाना गढ़ी के अपराध क्रमांक 09/09 में जप्तशुदा दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वाहन क्रमांक एम.पी.50/जी-0608 का परीक्षण किया था, जिसमें उसने वाहन के गियर बॉक्स, टायर, ब्रेक, क्लच ठीक अवस्था में, लाईट डेमेज, कांच आगे व पीछे के तथा इंडीकेटर टूटे होना पाया था तथा डिफरेंशल से तथा बैटरी से पानी गिर गया था। कमानी टॉयरॉड तथा शॉकप बैंड पाये थे एवं एक्सीलेटर में रस पाया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट पत्र प्र.पी.09 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा वाहन परीक्षण हेतु कोई प्रशिक्षण नहीं लिया गया है और नस ही किसी संस्था से कोई प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, वह वाहन मैकेनिक नहीं है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसने प्र.पी.09 की रिपोर्ट बिना वाहन का परीक्षण किये पुलिसवालों के कहने पर तैयार किया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसे पुलिस थाना गढ़ी से अक्सर वाहन परीक्षण के लिए बुलाया जाता है।

18- साक्षी बलराम दुबे अ.सा.08 ने कथन किया है कि वह दिनांक 03.03.2009 को थाना गढ़ी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थी तिलकदास गढ़ी द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि एक सफेद रंग की बुलेरो गाड़ी का चालक बबलू पनिका परसामउ द्वारा तेज रफ्तार लापरवाहीपूर्वक चलाकर बिजली खंभे के पोल को टक्कर मार दिया है, जिससे उसे तथा अन्य लोगों को चोट लगी है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर उसके द्वारा अपराध क्रमांक 09/09 धारा-279, 337 भा.दं.सं. एवं मो.व्ही. एक्ट की धारा-134 एवं 184 के तहत प्रथम सूचना

रिपोर्ट प्र.पी.10 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा रिपोर्ट पर प्रार्थी तिलकदास के अंगुठा निशानी है। उक्त दिनांक को साक्षी गंगासिंह ठाकुर की निशादेही पर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.11 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर साक्षी गंगासिंह के हस्ताक्षर हैं।

19— साक्षी बलराम दुबे अ.सा.08 के अनुसार उक्त दिनांक को उसके द्वारा प्रार्थी तिलकदास, गवाह गंगासिंह ठाकुर, लीमाबाई तथा दिनांक 04.03.2009 को लीमाबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी बबलूदास उर्फ हीरादास को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.12 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया था। उक्त दिनांक को घटनास्थल से गवाह संतोष एवं गंगासिंह के समक्ष आरोपी बबलूदास उर्फ हीरादास से वाहन बुलेरो क्रमांक एम.पी.50जी.0608 को मय कागजात के जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.01 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 06.03.2009 को उसके द्वारा वाहन परीक्षणकर्ता अशोक अग्निहोत्री से वाहन का परीक्षण करवाया गया था, जो प्र.पी.09 है, जिस पर वाहन परीक्षणकर्ता अशोक अग्निहोत्री के हस्ताक्षर हैं। संपूर्ण विवेचना उपरांत थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

20— साक्षी बलराम दुबे अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखते समय रिपोर्टकर्ता द्वारा गाड़ी का नंबर नहीं बताया गया था, प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाते समय प्रार्थी ने आरोपी के पिता का नाम नहीं बताया था, बबलूदास नाम के अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि प्र.पी.02 की कार्यवाही उसके द्वारा झूठी की गई थी, उसके द्वारा

मौका-नक्शा प्र.पी.03 की कार्यवाही झूठी की गई थी, प्र.पी.03 की कार्यवाही उसके द्वारा थाने में की गई थी। साक्षी के कथन अनुसार उसके द्वारा प्र.पी.03 की कार्यवाही साक्षी के बताये अनुसार तैयार की गई थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि साक्षी तिलकदास, गंगासिंह, लीमाबाई के कथन अपने मन से लेख कर लिया था। साक्षी के कथन अनुसार साक्षियों के बताये अनुसार लेख किये थे। साक्षी ने अस्वीकार किया है कि साक्षियों को उनके कथन उसने पढ़कर नहीं बताया था, प्र.पी.04 की कार्यवाही उसके द्वारा झूठी की गई थी, उसके द्वारा प्र.पी.09 के अनुसार वाहन परीक्षणकर्ता से वाहन का परीक्षण नहीं कराया गया था, प्र.पी.01 की कार्यवाही उसके द्वारा झूठी तैयार की गई थी, प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही उसके द्वारा झूठी की गई थी।

21— प्रकरण में वाहन में सवार आहतगण तथा घटना में प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने ही अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। परिवादी तिलकदास अ.सा.01 ने यद्यपि मुख्यपरीक्षण में अभियुक्त द्वारा वाहन को तेज गति से चलाना व्यक्त किया, परंतु प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि पीछे बैठा होने के कारण वह नहीं बता सकता कि गाड़ी कैसे टकराई और पुलिस वाले ने कोरे कागज पर उसके अंगुठे का निशान लगवा लिया था। अन्य आहत गीताबाई अ.सा.05 ने भी पीछे बैठे होने के कारण दुर्घटना के कारण बताने में असमर्थता व्यक्त की और पुलिस को प्र.पी.08 का बयान देने से इंकार किया। इसी प्रकार आहत लीमाबाई अ.सा.02 ने भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि गाड़ी कैसे पलटी, उसे नहीं मालूम। यद्यपि उक्त साक्षी ने अभियुक्त द्वारा वाहन को तेज गति से चलाने के कथन किये, परंतु पश्चात कथनों में अन्य तेज रफ्तार वाहन के कारण दुर्घटना होना व्यक्त किया। उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि वस्तुतः किसी भी साक्षी ने घटना को नहीं देखा, क्योंकि सभी वाहन में पीछे बैठे थे। किसी भी साक्षी ने घटना में अभियुक्त की किसी विशिष्ट उपेक्षा अथवा उतावलेपन को प्रकट नहीं किया है और अभियोजन कहानी से पूर्णतः इंकार किया है।

22- अपराध विधि शास्त्र अभियोजन से यह अपेक्षा करता है कि वह आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करें। सांविधिक अपवादों को छोड़कर अपराध की उपधारणा नहीं की जा सकती। “परिस्थितियां स्वयं प्रमाण है” के सिद्धांत के आधार पर उपेक्षा व उतावलेपन की उपधारणा नहीं की जा सकती। अभियोजन के द्वारा इस संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि आरोपी द्वारा अपने वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आहतगण को उपहति कारित की गई। घटना में वाहन पर सवार व्यक्तियों की चोटों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त द्वारा अपने वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर उक्त घटना कारित की गयी हो, इस संबंध में न्याय दृष्टांत-Bijuli Swain Vs State of Orissa 1981 Cr.LJ 583(Ori) अवलोकनीय है। अतः अभियुक्त बबलूदास उर्फ हीरादास को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337(चार बार) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

23- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

24- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पीकप बुलेरो क्रमांक एम.पी.50जी. 0608 सफेद रंग मय कागजात के वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

25- आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / -

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही / -

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)